

**आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर**

**श्री महावीर प्रसाद, न्यायिक सदस्य तथा**  
**श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष**  
**आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से**

**आ.अ.सं. 416/इंदौर/2019**

**निर्धारण वर्ष : 2015-16**

श्री प्रतिपाल टोंग्या, इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 4(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एसीएक्सपीटी 7804 जे		
अपीलार्थी की ओर से :		सर्वश्री अनिल कमल गर्ग तथा अर्पित गौर, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :		श्री अमित सोनी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :		21.01.2022
उद्धघोषणा तिथि :		31.01.2022

**आदेश**

**श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा**

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन आदेश दिनांक 24.01.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. अपील के आधार सं. 1 में निर्धारिती द्वारा लिए गए पहले विधिक आधार पर निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दबाव नहीं डाला गया है। अतः इस दबाव नहीं डाले जाने के कारण खारिज किया जाता है।

3. आधार सं. 2 में निर्धारिती द्वारा लिए गए दूसरे विधिक आधार के संबंध में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि निर्धारिती का प्रकरण mismatch of custom duty payment and payment to related persons mismatch का परीक्षण करने हेतु सीमित छंटनी (limited scrutiny) हेतु चुना गया था। यद्यपि, विद्वान निर्धारण अधिकारी ने कोई अनुमोदन प्राप्त किए बिना दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति के मुद्दे की भी छंटनी की और विद्वान निर्धारण अधिकारी की यह कार्रवाई विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है।

4. इस मुद्दे पर विद्वान विभागीय प्रतिनिधि अभिलेख पर यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं ला पाये कि विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी कोई अनुमति प्राप्त की गई थी।

5. हमने इस मुद्दे पर परस्पर विरोधी दावों को सुना है। निर्धारिती द्वारा उठाए गए इस विधिक मुद्दे के संबंध में, हमने पाया कि अधिनियम की धारा 143(2) के अधीन जारी नोटिस दिनांक 10.08.2016 के द्वारा निर्धारिती का प्रकरण निम्नलिखित मुद्दों का परीक्षण करने हेतु सीमित छंटनी के लिए चुना गया था :

1. Mismatch of custom duty payment
2. Payment to related persons mismatch

निर्धारण आदेश के अवलोकन पर हमने पाया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति के संव्यवहार का परीक्षण किया है। यह मुद्दा सीमित छंटनी मुद्दों का भाग नहीं था। हमने पाया कि सीबीडीटी के अनुदेश सं. 20/2015 दिनांक 29.12.2015 के अनुसार यदि निर्धारण अधिकारी सीमित छंटनी को पूर्ण छंटनी में बदना चाहता है तो उसे पहले संबंधित PCIT/CIT से अनुमोदन लेना आवश्यक है। यद्यपि, हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों तथा निवेदनों के अवलोकन पर हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इस परिस्थितियों के तहत, हमने पाया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने उसे दी गई अधिकारिता का उल्लंघन किया है और यह निर्धारण आदेश को विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण बनाता है। अतः, हम निर्धारिती द्वारा लिए गए विधिक आधार को स्वीकृत करते हैं तथा निर्धारण आदेश को खंडित करते हैं एवं परिवर्धनों को हटाया जाता है। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा लिया गया विधिक आधार स्वीकृत किया जाता है।

6. जहाँ तक प्रकरण के गुणागुण का संबंध है, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि निर्धारिती किराना माल का थोक/खुदरा व्यापार करता है। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान निर्धारिती ने मे. विश्वज्योति ट्रेडिंग लिमिटेड की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के विक्रय से दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति की थी जिसके लिए निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन छूट का दावा किया था। विद्वान निर्धारण अधिकारी ने DDIT(Inv)-Unit 2(3), कोलकाता की रिपोर्ट के आधार पर पाया कि मे. विश्वज्योति ट्रेडिंग लिमिटेड एक पैनी स्टॉक कंपनी है तथा निर्धारिती ने भी इस कंपनी के शेयरों में संव्यवहार किया है। अतः निर्धारण

अधिकारी द्वारा अभिधारित किया गया कि निर्धारिती का अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्त की छूट हेतु रु. 78,51,519/- का दावा जाली है क्योंकि यह पैनी स्टॉक कंपनी के शेयरों से था । इसके अतिरिक्त विद्वान निर्धारण अधिकारी ने रु. 3,92,586/- के आंकलित व्यय हेतु भी परिवर्धन किया जो निर्धारिती ने अभिकथित संधान (accommodation) प्रविष्टी प्राप्त करने हेतु उपगत किया है ।

7. असंतुष्ट निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की परंतु सफल नहीं हो पाया ।

8. अब निर्धारिती विधिक मुद्दे तथा प्रकरण के गुणागुण के मुद्दे पर भी इस अधिकरण के समक्ष अपील में है ।

9. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष दाखिल अभिलेख पुस्तिकाओं में उल्लिखित निर्णयज विधियों तथा synopsis पर निर्भरता रखते हुए उनमें किए हुए निवेदनों में दोहराया ।

10. दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि ने दोनों निम्न प्राधिकारियों के निर्णयों पर निर्भरता रखते हुए विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश की पुष्टि करने हेतु निवेदन किया ।

11. निर्धारिती द्वारा प्रकरण के गुणागुण पर लिए गए आधार के संबंध में हमने पाया कि निर्धारिती ने मे. विश्वज्योति ट्रेडिंग लिमिटेड के शेयरों के विक्रय

पर अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति के रूप में रु. 78,51,519/- की छूट का दावा किया था । यद्यपि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने इसे पैनी स्टॉक कंपनी के शेयरों संबंधित जाली संव्यवहार मानकर धारा 10(38) के अधीन दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति रु. 78,51,519/- की छूट के दावे को अस्वीकृत किया था । हमने पाया कि अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन छूट के दावे की स्वीकृति कुछ शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है जैसे-

1. निर्धारिती के लिए इक्विटी शेयरों को एक वर्ष से अधिक अवधि तक धारित करना आवश्यक है ।
2. इक्विटी शेयरों का विक्रय सिक्यूरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) का भुगतान करके मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाना चाहिए ।

अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात हमने पाया कि विवादाधीन शेयर निर्धारिती द्वारा खाताधारक को देय चैक के द्वारा भुगतान करके खरीदे गए थे । खरीदे गए शेयर 12 माह से अधिक की अवधि तक डी-मैट (De-mat) खाते में धारित किए गए थे । इक्विटी शेयरों का विक्रय सिक्यूरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के भुगतान के पश्चात प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज पर किया गया था । इस प्रकार, निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति की छूट का दावा करने हेतु सभी आवश्यक सभी शर्तों की पूर्ति की है । हमने पाया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने यह दावा अन्वेषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत किया है परंतु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि निर्धारिती का अभिकथित पूंजीगत प्राप्ति प्राप्त करने हेतु कंपनी के प्रबंधन से कोई प्रत्यक्ष संबंध है । इस तथ्य का विद्वान विभागीय प्रतिनिधि द्वारा विरोध

नहीं किया गया है। इन तथ्यों के अधीन निर्धारिती का दावा निम्नलिखित निर्णयों की दृष्टि में स्वीकार्य है -

1. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पीसीआईटी बनाम कृष्णा देवी तथा अन्य के प्रकरण में आ.अ.सं. 125/2020 में आदेश दिनांक 15.01.2021।
2. माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर 'बी' न्यायपीठ के अशोक अग्रवाल बनाम एसीआईटी जयपुर के प्रकरण में आ.अ.सं. 124/जेपी/2020 में आदेश दिनांक 18.11.2020।
3. माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई 'डी' न्यायपीठ के दीपेश रमेश वर्धन बनाम डीसीआईटी सेंट्रल मुंबई के प्रकरण में आ.अ.सं. 7648/मुंबई/2019 में आदेश दिनांक 11.08.2020।
4. माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई 'बी' न्यायपीठ के नारायण रामचंद्र राठी बनाम आयकर अधिकारी 3(1) मुंबई के प्रकरण में आ.अ.सं. 4811/मुंबई/2018 में आदेश दिनांक 08.08.2019।
5. माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ के आयुष जैन बनाम आयकर अधिकारी के प्रकरण में आ.अ.सं. 616/इंदौर/2019 में आदेश दिनांक 30.04.2021।

अतः उपर्युक्त निर्णयों का आदरपूर्वक अनुसरण करते हुए हम निर्धारिती के धारा 10(38) के अधीन दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति रु. 78,51,519/- की छूट के दावे को स्वीकृत करते हैं तथा निर्धारिती की अपील का यह आधार स्वीकृत किया जाता है।

12. चूंकि हमने निर्धारिती के दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति रु. 78,51,519/- के दावे को धारा 10(38) के अधीन छूट प्राप्त आय के रूप में स्वीकृत किया है, अतः वहाँ

अभिकथित कमीशन व्यय लेखे रु. 3,92,586/- के शेष परिवर्धन हेतु कोई आधार नहीं बचता है । अतः इस परिवर्धन को हटाया जाता है तथा निर्धारिती की अपील का यह आधार स्वीकृत किया जाता है ।

13 परिणामतः, निर्धारिती की अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश 31.01.2022 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-  
(महावीर प्रसाद)  
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-  
(मनीष बोरड)  
लेखा सदस्य

दिनांक : 31.01.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल